न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, रंका।

अर्जेन्ट वाद सं0 – 15/2023 धारा 144 द0प्र0स0

सुनीता देवी बनाम प्रेम सोनी वगैरह

आदेश

आदेश की क्र0 सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख सहित
12/5/023	अभिलेख उपस्थापित। यह वाद अचंल अधिकारी, रंका के पत्रांक 117 दिनांक 10.03.2023 के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर यह प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है। भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–	

ग्राम	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
रंका	नया 418	नया 2024/2404	3.33 एकड़	रोड	नदी	प्रेम सोनी	मानिकचन्द सोनी

प्रथम पक्षकार का कथन है कि इस वाद मे अभी तक कोई समाधान नही हो सकी है जबतक की वृहत सुनवाई न हो निराकरण नही सकता है जबकि उभय पक्षकारो के बीच उक्त विवाद के कारण अभी भी शातिभग की स्थिति बनी हुई है इस परिस्थिति मे इस वाद की वृहत सुनवाई की आवश्यकता है उक्त वाद को धारा 144 द0प्र0स0 से प्रवर्तित कर धारा 145 की जाने हेतु अनुरोध किया गया है। अचल अधिकारी, रंका का पत्रांक 117 दिनांक 10.03.23 आवेदिका सुनिता देवी पति बसत सोनी ग्राम रंका कला को जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया जिसमे उप राजस्व कर्मचारी के जाँच प्रतिवेदन मे उल्लेख किया गया है कि आवेदिका द्वारा प्रस्तुत कागजात एव स्थल का जाँच किया गया, मौजा रंका कला के हाल सर्वे खाता संख्या 418 प्लॉट संख्या 2024/2404 रकबा 3.33 एकड़ का ऑनलाईन माग सुनीता देवी के नाम चलता है। आवेदिका अपनी भूमि के पैमाइश के लिए अचल कार्यालय रंका मे सीमाकन वाद सख्या 91/202–23 का आवेदन है जो प्रक्रिया मे है। जो खाता सख्या 418 खेसरा सख्या 2404 रकबा 0.03 1/3 एकड़ का सीमाकन करने स्थल मे गये, राजस्व कागजातों का जाँच किया गया। आवेदिका भूमि माग आवेदिका के नाम से पजी II के पृष्ठ संख्या 87/18 पर चलता है। स्थल पर तीनो हिस्सेदारो की भूमि का नापी कर आर कायम कर दिया गया है। तीनों फरिक पूर्व से ही अपना–अपना मकान का पूर्ण एव अर्द्ध निर्माण किये है। सीमाकित भूमि को ट्रेश नक्शा मे लाल रग से दर्शाया गया है। (1) मानिक चन्द सोनी को 3300 वर्ग कड़ी (2) बसत सोनी को 3200 (3) प्रेम सोनी को भूमि होता है 300 वर्ग कड़ी भूमि कम है। सीमाकन को समय तीनों हिस्सेदार उपस्थित थे जिनका हस्ताक्षर एक पन्ना पर दर्ज है। नापी के समय किसी के द्वारा कोई आपति नही किया गया है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा कोई पैरवी नहीं किया गया नही कारणपृच्छा दाखिल किया है। धारा 144 द0प्र0स0 की प्रक्रिया समय अवधि समाप्त हो गई है। इसलिए वाद की कार्यवाही को समाप्त की जाती है।

12.5.23

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
रंका।

Digitally signed by RAM NARAYAN SINGH
Date: 2023.10.13 13:13:53 +05:30
Location: 10.93.21.244